

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक-प्र02/बजट-01/2013(खंड-1)-

/पटना, दिनांक-

प्रेषक,

सुधा गुप्ता,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

विषय:- राज्य के ग्रामों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण करने हेतु केन्द्रीय प्रक्षेत्र के उपक्रमों द्वारा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के अन्तर्गत कार्य कराने के संबंध में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋण के विरुद्ध दिनांक-20.03.2026 तक देय सूद के रूप में राशि 4,02,25,598/- (चार करोड़ दो लाख पच्चीस हजार पाँच सौ अठ्ठानवे) रुपये मात्र का भुगतान वित्तीय वर्ष 2025-26 में ग्रामीण विद्युतीकरण कॉरपोरेशन लिमिटेड हेतु आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1473 दिनांक-17.03.2026 के आलोक में राज्य के ग्रामों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण करने हेतु केन्द्रीय प्रक्षेत्र के उपक्रमों द्वारा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के अन्तर्गत कार्य कराने के संबंध में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋण के विरुद्ध दिनांक-20.03.2026 तक देय सूद के रूप में राशि 4,02,25,598/- (चार करोड़ दो लाख पच्चीस हजार पाँच सौ अठ्ठानवे) रुपये मात्र का भुगतान वित्तीय वर्ष 2025-26 में ग्रामीण विद्युतीकरण कॉरपोरेशन लिमिटेड को करने हेतु आवंटन स्वीकृत एवं विमुक्त किया जाता है।

2. यह राशि मांग सं०-10, मुख्य शीर्ष 6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज, उपशीर्ष-0016 नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के द्वारा रूलर इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लि० से लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान हेतु विपत्र कोड-10-6801001900016 विषय शीर्ष-55.01 ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

आवंटन की स्थिति निम्न प्रकार है :-

बजट उपबंध वित्तीय वर्ष 2025-26	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	बजट उपबंध की शेष राशि
18,15,00,000.00	13,59,52,144.00	4,02,25,598.00	17,61,77,742.00	53,22,258.00

3. यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि राशि की निकासी के पूर्व सारी प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद ही राशि की निकासी करेंगे।

३

4. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना के द्वारा रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लि० के HDFC Bank, के०जी० मार्ग, दिल्ली के चालू खाता संख्या-00030350000574, IFSC Code-HDFC0000003 में किया जाएगा।
5. आवंटित राशि निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रसंगाधीन आवंटन आदेश संख्या एवं तिथि के साथ संबंधित विषय शीर्ष का भी उल्लेख करेंगे तथा विपत्र पर चिह्नित राशि बजट उपबन्ध के अन्तर्गत होने का प्रमाण-पत्र भी अंकित करेंगे।
6. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(सुधा गुप्ता)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-प्र०२/बजट-०१/२०१३(खंड-१)-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-प्र०२/बजट-०१/२०१३(खंड-१)-

26

/पटना, दिनांक- 18.03.2016

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो०) क० लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन क० लि०, पटना/वरीय प्रबंधक वित्त एवं लेखा, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन क० लि०, पटना/मुख्य परियोजना प्रबंधक, आर०,ई०,सी० लि०, परियोजना कार्यालय, पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।